



भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेल भर्ती सेल, मध्य रेलवे

सीपीएम कन्वर्जन कार्यालय भवन, पी.डी मेलो रोड, वाडीबंदर, मुंबई - 400010



रोजगार सूचना संख्या आरआरसी/सीआर/02/2021 दिनांक 11/12/2021

"वर्ष 2021-22 के लिए खुले विज्ञापन खेल कोटा के तहत भर्ती"

मध्य रेलवे वर्ष 2021-22 के लिए स्पोर्ट्स कोटा (आइटम 2 में) के 21 पदों को भरने के लिए योग्य खिलाड़ियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है, जो भारत के नागरिक हों। ये पद समुदाय पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए खुले हैं। एसोसी/एसटी/ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। इसके अलावा, केवल परीक्षण में योग्य उम्मीदवारों को ही आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा।

अनुसूची

ऑनलाइन आवेदन के लिए खुलने की तिथि और समय	13/12/2021 11.00 बजे।
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि और समय	27/12/2021 17.00 बजे।

पदों का डिस्प्लीनवार विवरण

(ए) लेवल 5/4 (7 वां सीपीसी)

क्र.	खेल का नाम	पुरुष / महिला	इन्हेंट स्थिति	पदों की संख्या
01	बास्केटबॉल	महिला	पिकोट / प्वाइंट गार्ड / फॉरवर्ड	01
02	मुक्केबाजी	पुरुष	49 / 69 / 75 / 81 और +91 कि.ग्रा.	01
03	हॉकी	पुरुष	फॉरवर्ड / हाफ / डिफेंडर	01
			कुल	03

(बी) लेवल 3/2 (7 वां सीपीसी)

क्र.	खेल का नाम	पुरुष / महिला	इन्हेंट स्थिति	पदों की संख्या
01	वॉटर पोलो	पुरुष	ऑल राउंडर / गोल कीपर	01
02	एथेलेटिक्स	महिला	लॉग डिस्टेंस / स्प्रिंट / स्टीपल चेज़	01
03	बैडमिंटन	पुरुष	सिंगल्स / डबल्स	01
04	बास्केटबाल	पुरुष	प्ले मेकर / ऑल राउंडर / सेंटर	01
05	मुक्केबाजी	पुरुष	49 / 69 / 81 / +91 कि.ग्रा.	01
06	क्रिकेट	पुरुष	विकेट कीपर / बल्लेबाज / ऑलराउंडर	03
07	क्रिकेट	महिला	ऑल राउंडर / विकेट कीपर / बल्लेबाज	02
08	हॉकी	महिला	स्ट्राइकर / मिड फील्ड / बैक	01
09	कबड्डी	पुरुष	राइट रेडर / राइट कॉर्नर / ऑलराउंडर	01
10	कबड्डी	महिला	ऑल राउंडर / लेफ्ट टर्न / राइट कॉर्नर / राइट टर्न	02
11	क्लॉलीबॉल	महिला	ब्लॉकर / युनिवर्सल / अटैकर	01
12	भारोतोलन	महिला	45 / 55 / 76 / 87 / +87 कि.ग्रा.	01
13	कुश्ती (ग्री.रो.)	पुरुष	55 / 60 / 97 / 130 कि.ग्रा.	01
14	कुश्ती (फ्री.स्टा.)	पुरुष	61 / 65 / 74 / 97 कि.ग्रा.	01
			कुल	18

नोट:

लेवल 5/4 के खेल मानदंड वाले खिलाड़ी जो लेवल 3/2 के लिए आवेदन करते हैं, तो उन खिलाड़ियों को केवल 3/2 के लेवल में विचार किया जाएगा और परीक्षण के समय, उन्हें यह घोषणापत्र जमा करना होगा कि रेलवे में शामिल होने के बाद खेल उपलब्धि के आधार पर उच्च लेवल के वेतन के लिए दावा नहीं करेगा/करेगी।

यदि उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण लेवल 5/4 में रिक्तियां नहीं भरी जाती हैं, तो ऐसी रिक्तियां उसी खेल से लेवल 3/2 में भरी जाएंगी जहां रिक्तियां अधिसूचित की जाती हैं।

3.

प्रात्रता की शर्तें

आयु सीमा

01.01.2022 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष। 01.01.1997 और 01.01.2004 (दोनों दिन सम्मिलित) के बीच जन्मे हुए उम्मीदवारों को ही आवेदन करना चाहिए। 31.12.1996 को या उससे पहले जन्म लेने वाले उम्मीदवार पात्र नहीं हैं। इसी तरह, 02.01.2004 को या उसके बाद पैदा हुए उम्मीदवार भी पात्र नहीं हैं। (किसी भी समुदाय के उम्मीदवार के लिए कम या ऊपरी आयु सीमा में कोई छूट नहीं।)

3.2

शैक्षिक योग्यता:

लेवल	शैक्षिक योग्यता
5/4	न्यूनतम स्नातक, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में।
3/2	12वां (+2 स्टेज) या इसके समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा या मैट्रिकुलेशन साथ में कोर्स कम्प्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप या मैट्रिकुलेशन प्लस एनसीवीटी / एससीवीटी द्वारा अनुमोदित आईटीआई उत्तीर्ण। नोट: 1) इंजीनियरिंग में डिप्लोमा को वैकल्पिक उच्च योग्यता नहीं माना जाएगा।

नोट: I. कलर्क-सह-टाइपिस्ट की श्रेणी में नियुक्त किय गए व्यक्तियों को टाइपिंग प्रवीणता 30 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेजी में या 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी में नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्राप्त करनी होगी और इस समय तक इस श्रेणी में उनकी नियुक्ति स्थायी होगी।
II. उच्च शिक्षाप्राप्त उम्मीदवारों को परीक्षण के समय स्नातक/स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.3. खेल उपलब्धियां / प्रात्रता मानदंड

(ए) लेवल 5/4 के लिए

ए)	ओलंपिक खेलों (सीनियर श्रेणी) में देश का प्रतिनिधित्व किया हो	या
बी)	विश्व कप (जूनियर/युवा/ सीनियर) में कम से कम तीसरा स्थान	या
सी)	विश्व चैपियनशिप (जूनियर/सीनियर) में कम से कम तीसरा स्थान	या
डी)	एशियाई खेलों (सीनियर) में कम से कम तीसरा स्थान	या
इ)	राष्ट्रमंडल खेलों (सीनियर) में कम से कम तीसरा स्थान	या
एफ)	युवा ओलंपिक में कम से कम तीसरा स्थान	या
जी)	डेविस कप (टेनिस) में कम से कम तीसरा स्थान	या
एच)	चैपियंस ट्रॉफी (हॉकी) में कम से कम तीसरा स्थान	या
आय)	थॉमस/उबर कप (बैडमिंटन) में कम से कम तीसरा स्थान	या
बी)	लेवल 3/2 के लिए	

(ए) लेवल 3/2 के लिए

ए)	विश्व कप (जूनियर / युवा / सीनियर) में प्रतिनिधित्व	या
बी)	विश्व चैपियनशिप (जूनियर/सीनियर) में प्रतिनिधित्व	या
सी)	एशियाई खेलों (सीनियर) में प्रतिनिधित्व	या
डी)	राष्ट्रमंडल खेलों (सीनियर) में प्रतिनिधित्व	या
इ)	युवा ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया	या
एफ)	डेविस कप (टेनिस) में प्रतिनिधित्व	या
जी)	चैपियंस ट्रॉफी (हॉकी) में प्रतिनिधित्व	या
एच)	थॉमस / उबर कप (बैडमिंटन) में प्रतिनिधित्व किया हो	या
आय)	राष्ट्रमंडल चैपियनशिप (जूनियर/सीनियर) में कम से कम तीसरा स्थान	या
बी)	एशियाई चैपियनशिप/एशिया कप (जूनियर/सीनियर) में कम से कम तीसरा स्थान	या
जे)	दाक्षिण एशियाई संघ खेलों (सीनियर) में कम से कम तीसरा स्थान	या
एल)	यूएसआईसी (विश्व रेलवे) चैपियनशिप (सीनियर) में कम से कम तीसरा स्थान	या
एम)	विश्व यूनिवर्सिटी खेलों में कम से कम तीसरा स्थान	या
एन)	सीनियर/युवा/जूनियर राष्ट्रीय चैपियनशिप में कम से कम तीसरा स्थान	या
ओ)	भारतीय ओलंपिक संघ के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में कम से कम तीसरा स्थान	या
पी)	एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के तत्वाधान में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैपियनशिप में कम से कम तीसरा स्थान	या
क्यू)	फेडरेशन कप चैपियनशिप (सीनियर श्रेणी) में प्रथम स्थान	

कठिपय विषयों के लिए अतिरिक्त स्वीकार्य खेल उपलब्धियां योग्यता मानदंड जैसा नीचे दिया गया है :

क्रिकेट (पुरुष)

1) सीनियर / अंडर-23 / अंडर-19 में ऑल इंडिया इंटर स्टेट एलीट एलीट यूप्र चैपियनशिप और ऑल इंडिया इंटर-जोनल चैपियनशिप में भाग लेने पर भी लेवल 3/2 में भर्ती के लिए भी विचार किया जाएगा।

क्रिकेट (महिला)

1) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, टेस्ट मैच में या सीमित ओवरों के एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में या ट्वेंटी -20 ओवर के मैच में मुख्य भारतीय सीनियर टीम का प्रतिनिधित्व; पर भी लेवल 3/2 में भर्ती के लिए विचार किया जाएगा।

2) राष्ट्रीय स्तर पर, बीसीसीआई के तत्व

वेतन बैंड / वेतनमान का नाम	स्तर 3/2 (रुपये में)	लेवल 3/2 में भर्ती के लिए न्यूनतम खेल मानदंड		
		आयु वर्ग	इवेट	वर्तमान वार्षिक अधिकारी भारतीय रैंकिंग
वेतन बैंड - 1	2000 या 1900	सीनियर	सिंगल्स	20वें स्थान तक
			डबल्स	चौथे स्थान तक
		युवा	सिंगल्स	छठे स्थान तक
		जूनियर	सिंगल्स	छठे स्थान तक

इस विज्ञापन के तहत खिलाड़ियों की भर्ती के लिए आरएसपीबी द्वारा मान्यता प्राप्त जूनियर नेशनल चैंपियनशिप की सूची

क्र.	खेल का नाम	श्रेणी	मान्यता प्राप्त जूनियर चैंपियनशिप का विवरण	
			आयु समूह	चैंपियनशिप का नाम
01	एक्वेटिक्स (वाटर पोलो)	पुरुष	अंडर -18	जूनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप
02	बास्केटबॉल	पुरुष / महिला	अंडर -18	जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप
03	बैडमिंटन	पुरुष / महिला	अंडर-19	जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप
04	मुक्केबाजी	पुरुष	अंडर-17	जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप
05	क्रिकेट	पुरुष	अंडर -23	कर्नल सी.के. नायडू ट्रॉफी (इंटर स्टेट चैंपियनशिप)
			अंडर-19	कूच बेहार ट्रॉफी (इंटर स्टेट चैंपियनशिप)
			अंडर-19	वीनू मांकड ट्रॉफी (एक दिवसीय लिमिटेड ओवर इंटर स्टेट चैंपियनशिप)
		महिला	अंडर-19	इंटर स्टेट ऑल इंडिया नॉक आउट / इंटर स्टेट जोनल टूर्नामेंट (एक दिवसीय लिमिटेड ओवर चैंपियनशिप)
06	हॉकी	पुरुष	अंडर -21	जूनियर (अंडर-21) राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप
		महिला	अंडर-19	जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप
07	कबड्डी	पुरुष / महिला	अंडर-19	जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप
08	हॉलीबॉल	महिला	अंडर-19	जूनियर नेशनल हॉलीबॉल चैंपियनशिप
09	भारोत्तोलन	पुरुष / महिला	अंडर -20	जूनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप
10	कुश्ती (ग्री. रो. और फ्री. स्टा.)	पुरुष	अंडर -20	जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप

नोट:

- उपरोक्त सभी चैंपियनशिप मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय / राज्य खेल संघों के तत्वावधान में और रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
- खेल प्रदर्शन का निर्धारण 01/04/2019 को या उसके बाद आयोजित खेल आयोजनों में भागीदारी के आधार पर किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया

खुली भर्ती के लिए सभी पात्र उम्मीदवारों को परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा और परीक्षण के बाद, भर्ती के अगले चरण के लिए केवल फिट उम्मीदवारों (40 में से 25 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले) का मूल्यांकन किया जाएगा। ट्रायल कमेटी द्वारा जिस अभ्यर्थीयों को फिट घोषित नहीं किया गया है, भर्ती समिति द्वारा उनका आगे का आकलन नहीं किया जाएगा।

आवेदन शुल्क:

(i)	नीचे दिए गए उप-पैरा (ii) में उल्लिखित उम्मीदवारों को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के लिए	रु. 500/- (पांच सौ रुपये मात्र), बैंक शुल्क काटने के बाद 400/- रुपये (केवल चार सौ रुपये) वापस करने के प्रावधान के साथ, जो अधिसूचना के अनुसार पाए जाते हैं और वास्तव में परीक्षण में उपस्थित होते हैं।
(ii)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पूर्व सैनिकों / विकलांग व्यक्तियों / महिलाओं / अल्पसंख्यकों* और आर्थिक पिछड़ वर्ग** से संबंधित उम्मीदवारों के लिए	रु. 250/- (रु. दो सौ पचास मात्र) के प्रावधान के साथ, जो अधिसूचना के अनुसार पाए जाते हैं और वास्तव में परीक्षण में उपस्थित होते हैं, उन्हें वापस करने का प्रावधान है, बैंक शुल्क काटने के बाद, इस श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। उम्मीदवारों के संबंध में शुल्क जो अयोग्य है, लेकिन फिर भी आवेदन करते हैं, उन्हें वापस नहीं किया जाएगा।

- शुल्क भुगतान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के भाग के रूप में पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। आवेदन पत्र में विवरण की शुद्धता सुनिश्चित करने के बाद, उम्मीदवारों को पेमेंट गेटवे के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है जिसे ऑनलाइन आवेदन के साथ एकीकृत किया गया है। इसके बाद कोई परिवर्तन/संपादन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग आदि का उपयोग करके स्क्रीन पर पूछी गई जानकारी प्रदान करके किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान के लिए लेनदेन शुल्क, यदि कोई हो, उम्मीदवारों द्वारा वहन किया जाएगा।
- लेन-देन के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, उम्मीदवार द्वारा दर्ज की गई तारीख के साथ ई-रसीद तैयार होगी जिसे उम्मीदवार द्वारा सहेजा / मुद्रित और बरकरार रखा जाना चाहिए।
- यदि ऑनलाइन लेनदेन सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ है, तो कृपया फिर से ऑनलाइन भुगतान करें।

6. शुल्क में छूट:

- ए) आवेदन शुल्क से छूट / वापसी का दावा करने के लिए, अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को चयन परीक्षणों के समय संलग्नक- “ए” में उल्लिखित “स्व-घोषणा” प्रस्तुत करनी चाहिए। *अल्पसंख्यकों का अर्थ मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी है। आवेदन शुल्क में छूट का दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवारों को गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर “अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा” के शपथ पत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा कि वह उपरोक्त अल्पसंख्यक समुदाय में से किसी से संबंधित है। यदि दस्तावेज सत्यापन के दौरान शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।
 - बी) **आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) का अर्थ उन उम्मीदवारों से होगा जिनकी पारिवारिक आय रुपये 50,000/- प्रति वर्ष से कम है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं:
 - जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के लेवल तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी।
 - अपने स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के मौजूदा सांसद।
 - किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उम्मीलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी बीपीएल कार्ड या कोई अन्य प्रमाण पत्र या रेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी।
 - केंद्रीय मंत्री देश में कहाँ से भी किसी व्यक्ति के लिए सिफारिश कर सकते हैं।
 - उस जिले के व्यक्तियों के लिए राज्य सभा के संसद सदस्य, जिसमें ये सांसद सामान्य रूप से निवास करते हैं। ऊपर उल्लिखित प्राधिकारीयों द्वारा जारी किया गया आय प्रमाणपत्र चयन परीक्षण के समय प्रस्तुत करने के लिए संलग्नक- ‘बी’ में होना चाहिए।
- 7. ऑनलाइन आवेदन**
- उम्मीदवारों को www.rrccr.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
- 7.2 उम्मीदवारों को आरआरसी/सीआर वेबसाइट www.rrccr.com पर लॉग ऑन कर खेल कोटे के तहत भर्ती के लिए विस्तृत निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
- नोट-1:** उम्मीदवारों के लिए विवरण व्यक्तियों के लिए राज्य सभा के संसद सदस्य, जिसमें ये सांसद सामान्य रूप से निवास करते हैं। उस जिले के व्यक्तियों के लिए राज्य सभा के संसद सदस्य, जिसमें ये सांसद सामान्य रूप से निवास करते हैं।
- नोट-2:** उम्मीदवारों के लिए विवरण व्यक्तियों के लिए राज्य सभा के संसद सदस्य, जिसमें ये सांसद सामान्य रूप से निवास करते हैं। उम्मीदवारों के लिए विवरण व्यक्तियों के लिए राज्य सभा के संसद सदस्य, जिसमें ये सांसद सामान्य रूप से निवास करते हैं।
- 7.3** नाम / पिता का नाम / समुदाय / फोटो (चेहरा) / शैक्षणिक और / या तकनीकी योग्यता आदि जैसे विभिन्न विवरणों के साथ या अलग-अलग ई-मेल आईडी इंगित करें और उन्हें पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखें, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण संदेश ईमेल / एसएमएस द्वारा भेजे जाएंगे जिन्हें माना जाएगा उम्मीदवारों द्वारा पढ़ा गया है।
- 7.4** नाम / पिता का नाम / समुदाय / फोटो (चेहरा) / शैक्षणिक और / या तकनीकी योग्यता आदि जैसे विभिन्न विवरणों के साथ या अलग-अलग ई-मेल आईडी / मोबाइल नंबर के साथ एक ही लेवल में भर्ती के लिए एक से अधिक आवेदन जमा करने का प्रयास करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि, सभी ऐसे आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। आवेदन जमा करने के लिए विवरण व्यक्तियों के लिए विवरण व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों / आरआरसी के साथ पत्राचार के लिए अपनी पंजीकरण नम्बर को संरक्षित / नोट करें।
- नोट-1:** अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए, उम्मीदवारों को अपने हित में सलाह दी जाती है कि, वे अंतिम तिथि से बहुत पहले जमा करें, ताकि आवेदन जमा करने, ताकि आरआरसी/सीआर की वेबसाइट पर भार

9.	स्कैन किए गए हस्ताक्षर / हस्ताक्षर की छवि की सॉफ्ट कॉपी उम्मीदवारों को अपने हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे (आकार 3.5 सेमी x 2.5 सेमी, जेपीजी / जेपीईजी प्रारूप, 100 डीपीआई, फ़ाइल का आकार 20 के बीच से 30 के बीच होना चाहिए)।	12.3 जन्म तिथि के प्रमाण के लिए प्रमाण पत्र (एसएससी प्रमाण पत्र या जन्म तिथि इंगित करने वाली मार्कशीट या जन्म तिथि इंगित करने वाला स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र)।
10.	हेल्प डेस्क ऑनलाइन आवेदन जमा करने और प्रिंट करने में किसी भी समस्या के लिए, 022-67453140 पर सुबह 10:00 बजे से शाम 17:00 बजे तक कॉल करें। (शनिवार, रविवार और छुट्टियों को छोड़कर)। उम्मीदवार sports@rrccr.com पर ईमेल के माध्यम से भी प्रश्न भेज सकते हैं।	12.4 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति, जहां भी लागू हो, जैसा कि नीचे पैरा 14.3 में निर्धारित है।
11.	महत्वपूर्ण निर्देश उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करें:- उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित पद के लिए उम्मीदवारों की पात्रता उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर तय की जाएगी। यदि भर्ती के किसी भी चरण में या उसके बाद, यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी झूठी/गलत है या उम्मीदवार ने किसी भी सम्बंधित जानकारी को छुपाया है या उम्मीदवार अन्यथा पद (दो) की पात्रता मानदंड को पूरे नहीं करता, उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।	13. अमान्य आवेदन / अस्वीकृति उम्मीदवारों से अनुरोध है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले सभी निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लें; अन्यथा उनके आवेदन निम्नलिखित कारणों में से एक या अधिक कारणों से खारिज किए जा सकते हैं: बड़े अक्षरों में स्कैन किए गए हस्ताक्षर / स्कैन किए गए हस्ताक्षर के बिना आवेदन। स्कैन फोटो के बिना आवेदन। स्कैन किए गए फोटो के साथ आवेदन लेकिन काले चश्मे पहने हुए या टोपी या विकृत / छोटे आकार या ना पहचानने के योग्य। आवेदन जमा करने की तिथि पर पद के लिए निर्धारित शैक्षिक और खेल योग्यता नहीं होना। अधिक आयु या कम आयु, जन्म तिथि नहीं भरी गई या गलत तरीके से भरी गई। अभ्यर्थी का नाम डीबार सूची में आना। एक ही पद के लिए एकाधिक आवेदन/विभिन्न विवरण। आवेदन शुल्क के बिना रुपये 500/- या रु. 250/-, जहां लागू हो या कम शुल्क। दो या दो से अधिक आयोजनों / खेलों के लिए एकल आवेदन। किसी अन्य प्रकार की अनियमितताएं।
11.1		13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 14. सामान्य शर्तें: किसी भी रूप में प्रचार करने से उम्मीदवार अयोग्य हो जाएगा। उम्मीदवारों को उचित प्राधिकारी से उचित प्रोफार्म में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और चयन परीक्षण के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावों के सत्यापन पर ब्रोशर (भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिक्षायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित) के अध्याय 13 के अनुसार इसकी सख्त आवश्यकता है। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की ज़ेरॉफ़्स कॉपी, तहसीलदार के पद से नीचे नहीं है, ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड की जानी चाहिए। ओबीसी उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा 01/04/2021 को या उसके बाद जारी केंद्र सरकार के प्रारूप में ओबीसी नॉन-क्रीमी-लेयर प्रमाणपत्र भी अपलोड करेंगे। प्रमाण पत्र में जाति, जारी करने की तिथि आदि शामिल होने चाहिए और जारीकर्ता प्राधिकारी की मुहर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्नक “सी” के रूप में और ओबीसी के लिए संलग्नक “डी” के रूप में संलग्न है। (एससी/एसटी/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप आरआरसी/सीआर वेबसाइट: www.rrccr.com पर भी उपलब्ध है)
11.2	द्रायल के दिन जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता और खेल उपलब्धि आदि के मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसके बिना उन्हें द्रायल में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंग्रेजी या हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में प्रमाण पत्र के साथ अंग्रेजी / हिंदी में एक सत्यापित अनुवाद होना चाहिए। सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी सेल्फ एटरेस्टेड होनी चाहिए। चयन द्रायल में शामिल होने के लिए कोई टीए / डीए / आवास नहीं दिया जाएगा। आवेदकों को अपनी किट और चार पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ लाने होंगे। उन्हें सिलेक्शन द्रायल के दौरान 2-3 दिनों तक रुकना भी पड़ सकता है, जिसके लिए उन्हें अपनी व्यवस्था खुद करनी होगी। रेलवे प्रशासन के पास किसी भी तारीख / स्थान को तय करने या परीक्षण स्थगित करने या अप्रत्याशित कारणों से रद्द करने के सभी अधिकार सुरक्षित हैं, जिसके खिलाफ कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।	14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 14.17 14.18 14.19 14.20 14.21 14.22 14.23 14.24 14.25 14.26 14.27 14.28 14.29 14.30 14.31 14.32 14.33 14.34 14.35 14.36 14.37 14.38 14.39 14.40 14.41 14.42 14.43 14.44 14.45 14.46 14.47 14.48 14.49 14.50 14.51 14.52 14.53 14.54 14.55 14.56 14.57 14.58 14.59 14.60 14.61 14.62 14.63 14.64 14.65 14.66 14.67 14.68 14.69 14.70 14.71 14.72 14.73 14.74 14.75 14.76 14.77 14.78 14.79 14.80 14.81 14.82 14.83 14.84 14.85 14.86 14.87 14.88 14.89 14.90 14.91 14.92 14.93 14.94 14.95 14.96 14.97 14.98 14.99 14.100 14.101 14.102 14.103 14.104 14.105 14.106 14.107 14.108 14.109 14.110 14.111 14.112 14.113 14.114 14.115 14.116 14.117 14.118 14.119 14.120 14.121 14.122 14.123 14.124 14.125 14.126 14.127 14.128 14.129 14.130 14.131 14.132 14.133 14.134 14.135 14.136 14.137 14.138 14.139 14.140 14.141 14.142 14.143 14.144 14.145 14.146 14.147 14.148 14.149 14.150 14.151 14.152 14.153 14.154 14.155 14.156 14.157 14.158 14.159 14.160 14.161 14.162 14.163 14.164 14.165 14.166 14.167 14.168 14.169 14.170 14.171 14.172 14.173 14.174 14.175 14.176 14.177 14.178 14.179 14.180 14.181 14.182 14.183 14.184 14.185 14.186 14.187 14.188 14.189 14.190 14.191 14.192 14.193 14.194 14.195 14.196 14.197 14.198 14.199 14.200 14.201 14.202 14.203 14.204 14.205 14.206 14.207 14.208 14.209 14.210 14.211 14.212 14.213 14.214 14.215 14.216 14.217 14.218 14.219 14.220 14.221 14.222 14.223 14.224 14.225 14.226 14.227 14.228 14.229 14.230 14.231 14.232 14.233 14.234 14.235 14.236 14.237 14.238 14.239 14.240 14.241 14.242 14.243 14.244 14.245 14.246 14.247 14.248 14.249 14.250 14.251 14.252 14.253 14.254 14.255 14.256 14.257 14.258 14.259 14.260 14.261 14.262 14.263 14.264 14.265 14.266 14.267 14.268 14.269 14.270 14.271 14.272 14.273 14.274 14.275 14.276 14.277 14.278 14.279 14.280 14.281 14.282 14.283 14.284 14.285 14.286 14.287 14.288 14.289 14.290 14.291 14.292 14.293 14.294 14.295 14.296 14.297 14.298 14.299 14.300 14.301 14.302 14.303 14.304 14.305 14.306 14.307 14.308 14.309 14.310 14.311 14.312 14.313 14.314 14.315 14.316 14.317 14.318 14.319 14.320 14.321 14.322 14.323 14.324 14.325 14.326 14.327 14.328 14.329 14.330 14.331 14.332 14.333 14.334 14.335 14.336 14.337 14.338 14.339 14.340 14.341 14.342 14.343 14.344 14.345 14.346 14.347 14.348 14.349 14.350 14.351 14.352 14.353 14.354 14.355 14.356 14.357 14.358 14.359 14.360 14.361 14.362 14.363 14.364 14.365 14.366 14.367 14.368 14.369 14.370 14.371 14.372 14.373 14.374 14.375 14.376 14.377 14.378 14.379 14.380 14.381 14.382 14.383 14.384 14.385 14.386 14.387 14.388 14.389 14.390 14.391 14.392 14.393 14.394 14.395 14.396 14.397 14.398 14.399 14.400 14.401 14.402 14.403 14.404 14.405 14.406 14.407 14.408 14.409 14.410 14.411 14.412 14.413 14.414 14.415 14.416 14.417 14.418 14.419 14.420 14.421 14.422 14.423 14.424 14.425 14.426 14.427 14.428 14.429 14.430 14.431 14.432 14.433 14.434 14.435 14.436 14.437 14.438 14.439 14.440 14.441 14.442 14.443 14.444 14.445 14.446 14.447 14.448 14.449 14.450 14.451 14.452 14.453 14.454 14.455 14.456 14.457 14.458 14.459 14.460 14.461 14.462 14.463 14.464 14.465 14.466 14.467 14.468 14.469 14.470 14.471 14.472 14.473 14.474 14.475 14.476 14.477 14.478 14.479 14.480 14.481 14.482 14.483 14.484 14.485 14.486 14.487 14.488 14.489 14.490 14.491 14.492 14.493 14.494 14.495 14.496 14.497 14.498 14.499 14.500 14.501 14.502 14.503 14.504 14.505 14.506 14.507 14.508 14.509 14.510 14.511 14.512 14.513 14.514 14.515 14.516 14.517 14.518 14.519 14.520 14.521 14.522 14.523 14.524 14.525 14.5

संलग्नक "ए"

अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के लिए घोषणा

यह घोषित किया जाता है कि, मैं धर्म से सम्बंधित हूँ जो कि अल्पसंख्यक समुदाय है। अतः मैं आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट चाहता हूँ। मैं एतद् द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के समय गैर-न्यायिक स्टाप्प पेरपर पर "अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा" का शपथ पत्र प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ, यदि मैं उपयुक्त पाया जाता हूँ।

हस्ताक्षर:

नाम:.....

दिनांक:.....

स्थान:.....

संलग्नक "बी"

पत्र संख्या ई (आरआरबी)/2009/25/21 दिनांक 28/10/2009 के पैरा 3 के अनुसार पत्र शीर्ष पर जारी होने वाले आय प्रमाण पत्र का प्रारूप।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ई.बी.सी.) की परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क में छूट हेतु वर्ष 2021-22 का आय प्रमाण पत्र।

1. उम्मीदवार का नाम :

2. पिता/पति का नाम :

3. आयु :

4. आवासीय पता :

5. वार्षिक पारिवारिक आय :

(अंकों और शब्दों में).....

6. जारी करने की तिथि :

7. हस्ताक्षर :

(प्राधिकार पत्र जारी करने के नाम)

जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर

संलग्नक "सी"

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप।

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* श्री/श्रीमती का पुत्र/पुत्री* जिला/मंडल* गांव/नगर के* राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के जाति/जनजाति* के अंतर्गत आता है जिसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है:

संविधान (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति) (केंद्र शासित प्रदेश) आदेश, 1951 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बॉर्ड पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, राज्य द्वारा संशोधित हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1970, उत्तर प्रदेश क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976.

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

संविधान (अंदमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959@

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित।

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@

संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@

संविधान (गांवा, दम्पन और दीब) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@

संविधान (गांवा, दम्पन और दीब) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991@

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991@

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1996%

%2. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में आवेदन जो एक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से पलायन कर चुके हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर श्री/श्रीमती/कुमारी*

..... के गांव/शहर*

..... जिला/मंडल*

..... राज्य/संघ राज्य * में मान्यता दी गई है,

..... द्वारा जारी दिनांक

%3. श्री/श्रीमती/कुमारी*

..... और/या उसका/उसकी परिवार

....., गांव/शहर*

..... साधारणतः निवास करता है।

हस्ताक्षर

पद

(कार्यालय की मुहर के साथ)

जगह

दिनांक

(*) कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं

(@) कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें

(%) जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

नोट: शब्द* सामान्य रूप से निवास करता है* का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

**जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारियों की सूची:

i. जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अपर उपायुक्त / उपायुक्त / कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट / उप-मंडल मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट।

ii. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

iii. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।

iv. उस क्षेत्र के उप-मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

नोट: तमिलनाडु राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को केवल राजस्व मंडल अधिकारी से जाति प्रमाण पत्र जमा करना चाहिए।

संलग्नक "डी"

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप।

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी* श्री/श्रीमती के पुत्र/पुत्री* गांव/नगर* जिला का सम्बंध समुदाय से सम्बंधीत है जिसे (उप-जाति इंगीत करे) के तहत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है:

1) संकल्प संख्या 12011/68/93-बीसीसी(सी) दिनांक 10 सितंबर 1993, भारत के राजपत्र-असाधारण-भाग 1 खंड 1, संख्या 186 दिनांक 13 सितंबर 1993 में प्रकाशित।

2) संकल्प संख्या 12011/9/94-बीसीसी दिनांक 19 अक्टूबर 1994, भारत के राजपत्र - असाधारण - भाग 1 खंड 1, संख्या 163 दिनांक 20 अक्टूबर 1994 में प्रकाशित।

3) संकल्प संख्या 12011/7/95-बीसीसी दिनांक 24 मई 1995, भारत के राजपत्र - असाधारण - भाग 1 खंड 1, संख्या 88 दिनांक 25 मई 1995 में प्रकाशित।

4) संकल्प संख्या 12011/44/96-बीसीसी दिनांक 6 दिसंबर 1996, भारत के राजपत्र - असाधारण - भाग 1 खंड 1, संख्या 210 दिनांक 11 दिसंबर 1996 में प्रकाशित।

5) संकल्प संख्या 12011/68/93-बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित - असाधारण संख्या 129 दिनांक 8 जुलाई 1997।

6) भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/12/96-बीसीसी-असाधारण संख्या 164 दिनांक 1 सितंबर 1997।

7) भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/99/94-बीसीसी - असाधारण संख्या 236 दिनांक 11 दिसंबर 1997।

8) संकल्प संख्या 12011/13/97-बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित - असाधारण संख्या 239 दिनांक 3 दिसंबर 1997।

9) संकल्प संख्या 12011/12/96-बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित - असाधारण संख्या 166 दिनांक 3 अगस्त 1998।

10) संकल्प संख्या 12011/68/93-बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित - असाधारण संख्या 171 दिनांक 6 अगस्त 1998।

11) भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/68/98-बीसीसी-असाधारण संख्या 241 दिनांक 27 अक्टूबर 1999।

12) संकल्प संख्या 12011/88/98-बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित - असाधारण संख्या 270 दिनांक 6 दिसंबर 1999।

13) संकल्प संख्या 12011/36/99-बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित - असाधारण संख्या 71 दिनांक 4 अप्रैल 2000।

श्री/श्रीमती/कुमारा* और/या उसका/उसकी* परिवार राज्य के जिसे में साधारणतः निवास करता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है। (भारत सरकार, कर्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अनुसूची के कार्यालय ज्ञापांक 36012/22/93-स्था. (एस-सीटी) दिनांक 8/9/1993) और संशोधीत भारत सरकार के कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग ओ. एम. न. 36033/3/2004/स्था. (आरईएस) दिनांक 09.03.2004 के तहत संशोधीत।

(*) कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं